न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 24/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहन सिंह पुत्र गेन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. मन्दर सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. दर्शन सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1 जसविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2/2 हरविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। शमिन्द्रसिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. कौर सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलदेव सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. गुलजार सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. गजन सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. फुमन सिंह पुत्र गेन्दा सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. जसविन्द्र कौर पत्नी फुमन सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. बलवन्त सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र कृपा सिंह पुत्र टहल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. विकास विभाग पंचायत समिति श्रीकरणपुर निर्मल जल पी.एस. स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत धरिंगावाली जरिए ग्राम पंचायत धरिंगावाली तहसील श्रीकरणपुर। 11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 25.05.2010

उपस्थितः 1.श्री योगेश कुमार अधिवक्ता वादी

2. श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक : 31/08/2023

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 37 एफ के खाता संख्या 53/7 के मुरब्बा नम्बर 33, 38, 42, 44, 55/22, 55/32 की कुल 9.464 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाल भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 कौर सिंह 0.092 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 4 बलदेव सिंह 3.336 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 2 दर्शन सिंह 0.769 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 1 मन्दर सिंह 0.718 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 5 गुलजार सिंह 0.013 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 6 गजन सिंह 0.033 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 7 फुमन सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 जसविन्द्र कौर 1.208 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 9 बलवन्त सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह 3.156 हेक्टैयर तथा प्रतिवादी संख्या 10, 0.011 हेक्टैयर व वादी मोहन सिंह 0.128 हेक्टैयर भूमि के खातेदार मालिक है। वादी ने उक्त रकबा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.03.2010

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

को खरीद किया था और पंजीकृत बैयनामा का इन्तकाल बादी के नाम दर्ज हो चुका है। घरू बंटवारा में उक्त आराजी में से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 में से किला नम्बर 20 के साथ चिपता हुआ 0.128 हेक्टैयर दक्षिणी हिस्से का रकबा सज्जन सिंह पुत्र जगीर के कब्जाकाश्त में था और पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.03.2010 के रोज सज्जन सिंह ने चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 में से 0.128 हेक्टैयर रकबा, किला नम्बर 20 के साथ चिपता हुआ का कब्जा वादी को संभला दिया था और उसी रोज वादी ने 0.128 हेक्टैयर रकबा पर कब्जा कर लिया था। वादी उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि में से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 में 0.128 हेक्टैयर रकबा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है और बंटवारा का दावा ला पाने का अधिकारी है। वादी आज से 7 रोज पूर्व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर रकबा को काश्त करने के लिए गया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को उक्त रकबा पर हल चलाने से इंकार कर दिया और लडाई-झगडे पर उतारू हो गये और कहने लगे कि उक्त रकबा पर हमारा कब्जा है और हम जोर जबरदस्ती से उक्त रकबा पर कब्जा करेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी के 0.128 हेक्टैयर रकबा पर कब्जा बतौर अतिक्रमी के है और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी की आराजी पर अतिक्रमी घोषित किया जाना आवश्यक है और वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी आराजी चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर रकबा से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एंव दावा ला पाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 05.05.2010 को प्रतिवादीगण को कहा कि वे उक्त रकबा का बंटवारा करवाकर वादी के हिस्सा की 0.128 हेक्टैयर भूमि का कब्जा वादीगण को संभलवा देवें। लेकिन तमाम प्रतिवादीगण की आराजी का बंटवारा करवाने एंव वादी की हिस्सा की आराजी का कब्जा देने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 37 एफ के खाता संख्या 53/7 के मुरब्बा नम्बर 33, 38, 42, 44, 55/22, 55/32 की कुल 9.464 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाल भूमि का विधिवत बंटवारा किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के हिस्सा में आए मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि, जो किला नम्बर 20 के साथ चिपता है, का कब्जा सज्जन सिंह के पास होना अस्वीकार है। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.03.2010 को मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि का कब्जा सज्जन सिंह द्वारा वादी को देना अस्वीकार है, ना ही उसी रोज वादी ने कब्जा किया, ना ही कब्जा प्राप्त करने की कोई घटना बही दर्ज करवायी गई है। ना ही पानी की पर्ची किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि की वादी को दी गई, ना ही पानी का कब्जा दिया गया। मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। जबकि वास्तव में वादी का उक्त विवादित रकबा पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादी हमें बेदखल करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि सज्जन सिंह ने इकरारनामा में वर्णित रुपये हासिल करके ईकरारनामा पर अपने हस्ताक्षर करके व गवाहान हस्ताक्षर करके हम प्रतिवादीगण के पिता को सौंप दिया था व कब्जा भी संभला दिया था। तभी से लेकर आज तक किला नम्बर 11 पर वजीर सिंह का कब्जा चला आ रहा है। सज्जन सिंह ने उक्त किला का बेचान का सौदा वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

के साथ कर लिया जबकि उक्त विवादित रकबा पर हम प्रतिवादीगण का व उनके पिता वजीर सिंह का सन् 1955 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। जिससे हम प्रतिवादीगण व हमारे पिता वजीर सिंह इस भूमि के खातेदार हो चुके है। वादी का ना तो मौका पर किला नम्बर 11 पर कब्जा है, ना ही वादी ने कब्जा सज्जन सिंह से प्राप्त किया है, बैयनामा दिनांक 26.03.2010 का कोई असर हम प्रतिवादीगण पर नहीं है, ना ही उससे वादी को कोई अधिकार हासिल होता है। उक्त भूमि को हम प्रतिवादीगण ईकरारनामा के अनुसार अपने नाम खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 हम प्रतिवादीगण व हमारे पिता वजीर सिंह पुत्र ...दीप सिंह के नाम बतौर खातेदार मुताबिक ईकरानामा कागजात माल में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे व उक्त किला का लगान भी हम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व हमारे पिता के नाम अलग से कायम किया जावे। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार उक्त आराजी पर शुरू से ही सज्जन सिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा था, सज्जन सिंह ने प्रतिवादीगण को उक्त रकबा कभी भी बैय नहीं किया और ना ही उक्त रकबा का कब्जा प्रतिवादीगण को सौपा है। बल्कि सज्जन सिंह ने दिनाक 26.03.2010 को उक्त मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के 0.128 हेक्टैयर रकबा का बैयनामा वादी के पक्ष में तहरीर व तस्दीक करवाया था और कब्जा भूमि भी वादी को सौंप दिया था लेकिन उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण धक्के से बतौर अतिक्रमी काबिज हो गये। उक्त आराजी का कब्जा वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा अनुसार चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 20 में प्रतिवादी संख्या 1,2 व वजीर सिंह की ढाणी है जो बहुत अर्सा पूर्व बनायी गई थी। किल नम्बर 11 जो 20 के साथ चिपता है। इसमें चारा आदि काश्त करते रहते है। फलदार वृक्ष भी लगा रखे है। सज्जन सिंह ने पूर्व में इस भूमि का इकरारनामा भी प्रतिवादी संख्या 1,2 व उनके पिता के साथ कर रखा है इस किला नम्बर 11 पर 1995 से प्रतिवादी संख्या 1,2 व उसके पिता का कब्जा चला आ रहा है। सज्जन सिंह का ना तो कभी कब्जा रहा और ना ही कब्जा चला आ रहा और ना ही कब्जा है, कब्जा प्रतिवादी संख्या 1,2 व उनके पिता का चला आ रहा है। इस बात का वादी को भली भांति ज्ञान था कि उक्त भूमि पर सज्जन सिंह का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को कब्जा देना गलत दर्ज किया है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निरस्त फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादी वादगत भूमि चक 37 एफ के खाता संख्या 53/7 में कुल 9.464 में बंटवारा करवाने का अधिकारी है।? -जिम्मे वादी-
2. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के हिस्से में आये मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के 0.128 हेक्टैयर रकबा पर अतिक्रमी घोषित करवाकर बेदखल कर वादी कब्जा पाने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-
3. आया कि क्या वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मैसने प्रोफिट पाने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-
4. आया कि चक 37 एफ की जमाबन्दी संख्या 57/7 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 20 में प्रतिवादीगण की ढाणी है व किला नम्बर 11 में कृषि औजार है। वादी कब्जा पाने का अधिकारी नहीं है? -जिम्मे प्रतिवादी-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
...करणपुर

5. आया कि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 पर प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर प्रतिकूल है तथा भूमि के खातेदार हो चुके है तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है? जिम्मे प्रतिवादी

6. आया कि काउन्टर क्लेम अनुसार प्रतिवादीगण अलग से बंटवारा करवाने के अधिकारी है? जिम्मे प्रतिवादी

7. अनुतोष।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 53/7 के मुरब्बा नम्बर 33, 38, 42,44, 55/22, 55/32 की जमाबन्दी, प्रदर्श-2ए बैयनामा दिनांक 26.03.2010 सजन सिंह बहक मोहन सिंह की छायाप्रति, प्रदर्श-3ए ईकरारनामा दिनांक 26.03.2010 सजन सिंह बहक मोहन सिंह की छायाप्रति, प्रदर्श-4ए इन्तकाल संख्या 342 दिनांक 05.04.2010 की छायाप्रति, स्वंय वादी मोहन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

वकील प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-डी 1 ईकरारनामा दिनांक 08.09.1995 सजन सिंह बहक वजीर सिंह की प्रति, प्रदर्श-डी 2 ईकरारनामा दिनांक 08.09.1995 सजन सिंह बहक वजीर सिंह की प्रति, प्रदर्श-डी 3 ईकरारनामा दिनांक 08.09.1995 सुरजन सिंह बहक वजीर सिंह की प्रति, प्रदर्श-डी 4,5,6,7,8,9 खसरा गिरदावरी की प्रतियां, व प्रतिवादी मोहन सिंह व दर्शन का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को प्रकरण में 2/1 ता 2/3 के रूप में संयोजित किया गया।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1: आया कि क्या वादी वादगत भूमि चक 37 एफ के खाता संख्या 53/7 में कुल 9.464 में बंटवारा करवाने का अधिकारी है।?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 53/7 के मुरब्बा नम्बर 33, 38, 42,44, 55/22, 55/32 की कुल 9.464 हेक्टैयर नहरी बाग गैरमुमकिन खाल भूमि में से वादी मोहन सिंह के नाम 0.128 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त 0.128 हेक्टैयर भूमि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.03.2010 से इन्तकाल संख्या 342 दिनांक 05.04.2010 वादी के नाम दर्ज हुई है। ईकरारनामा दिनांक 26.03.2010 में सजन सिंह के द्वारा वादी मोहन सिंह को चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 में किला नम्बर 20 के साथ बिघता हुआ दक्षिणी हिस्सा का कब्जा दिया गया है। लिहाजा वादी वादगत भूमि चक 37 एफ के खाता संख्या 53/7 की कुल 9.464 हेक्टैयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 दक्षिणी हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

की 0.128 हेक्टैयर भूमि का अलग से खाता व लगान कायम करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के हिस्से में आये मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के 0.128 हेक्टैयर रकबा पर अतिक्रमी घोषित करवाकर बेदखल कर वादी कब्जा पाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। चक 37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 53/7 के मुरब्बा नम्बर 33, 38, 42, 44, 55/22, 55/32 की कुल 9.464 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाल भूमि में वादी मोहन सिंह के नाम दर्ज 0.128 हेक्टैयर भूमि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.03.2010 से इन्तकाल संख्या 342 दिनांक 05.04.2010 को दर्ज हुई है। ईकरारनामा दिनांक 26.03.2010 में सजन सिंह के द्वारा वादी मोहन सिंह को चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 में किला नम्बर 20 के साथ चिपता हुआ दक्षिणी हिस्सा का कब्जा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि चक मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 की 0.128 हेक्टैयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बतौर अतिक्रमी काबिज है। वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मैसने प्रोफिट पाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 : आया कि चक 37 एफ की जमाबन्दी संख्या 57/7 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 20 में प्रतिवादीगण की ढाणी है व किला नम्बर 11 में कृषि औजार है। वादी कब्जा पाने का अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 : आया कि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 पर प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर प्रतिकूल है तथा भूमि के खातेदार हो चुके है तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा अनुतोष प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मांगा है। राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possessior." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधन नही है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 : आया कि काउन्टर क्लेम अनुसार प्रतिवादीगण अलग से बंटवारा करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा काउन्टर क्लेम के अनुतोष में चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने व अलग से लगान, खाता कायम किए जाने बाबत निवेदन किया है। चूकिं पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 5 विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

6. अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 बहक वादी व तनकी संख्या 4 ता 6 विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादी मोहन सिंह पुत्र गेन्दा सिंह के नाम चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के दक्षिणी हिस्सा की 0.128 हेक्टैयर भूमि का लगान व खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/3 को उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के दक्षिणी हिस्सा की 0.128 हेक्टैयर भूमि का कब्जा वादी को दिलवाया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 31/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर राज.)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
मोहन सिंह बनाम मन्दर सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 53, 188 आरटीए मुकदमा नम्बर 24/2010
निर्णय दिनांक :- 31.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री योगेश बंसल व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादी मोहन सिंह पुत्र गेन्दा सिंह के नाम चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के दक्षिणी हिस्सा की 0.128 हेक्टैयर भूमि का लगान व खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/3 को उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि चक 37 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 11 के दक्षिणी हिस्सा की 0.128 हेक्टैयर भूमि का कब्जा वादी को दिलवाया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 31.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 31.08.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/ 456
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)